पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-341
दिनांक 06.02.2025

जोन-पश्चिमी/ कोतवाली–दुबग्गा लखनऊ

नाबालिग बच्ची का अपहरण कर हत्या की घटना का सफल अनावरण।

- **दिनांक 24.01.2025 को बच्ची के अपरहण के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था।**
- **घटना में शामिल शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार।**
- **तत्र-मंत्र व बलि करने चक्कर में की गयी मासूम की हत्या।**
- **अपराध शाखा, डीसीपी पश्चिमी क्राइम टीम व थाना दुबग्गा एवं ठाकुरगंज पुलिस की सफलता।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशानुसार श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय तथा पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी एवं सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक दुबग्गा के नेतृत्व मे कोतवाली दुबग्गा लखनऊ टीम व श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व पुलिस उपायुक्त पश्चिमी महोदय की क्राईम टीम द्वारा दिनांक 24.01.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 0029/2025 धारा 140(2)/238/3(5) बी0एन0एस0 2023 मे प्रकाश मे आयी अभियुक्ता-जुगनू पत्नी सोनू पंडित निवासी हाल पता किराये का मकान एच 3/24 आम्रपाली योजना कोतवाली दुबग्गा लखनऊ मूल पता ग्राम चौसार थाना अरवल जिला हरदोई उम्र करीब 32 वर्ष को आज दिनांक 06.02.2025 समय 08.30 बजे कूड़ा चौरहा सर्विस लेन रोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा घटना मे प्रयुक्त सामान की बरामदगी कर नियमानुसार कार्वयाही की गई।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.01.2025 को वादी मुकदमा श्री छोटे लाल पुत्र स्व0 पुत्तीलाल निवासी ग्राम बरावन खुर्द थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ की लिखित तहरीर बावत वादी की पुत्री उम्र लगभग 08 वर्ष गुम हो जाने सम्बन्ध में दाखिल किया गया जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 0029/2025 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 23.01.2025 को वादी मुकदमा की पुत्री घर से गुम हो गई थी जिसकी तलाश पतारसी सुरागरसी की कार्यवाही की जा रही थी विवेचना के क्रम मे पीड़िता/गुमशुदा का शव थाना क्षेत्र सैरपुर मे बरामद हुआ जिसके पी0एम0 रिपोर्ट के अवलोकन से धारा 103(1) की बढोत्तरी करते हुए पीड़िता /अपहता की हत्या करने वाले अभि0 की तलाश पतारसी सुरागरसी श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम व श्रीमान पुलिस उपायुक्त प0 महोदय की टीम व थाना हाजा की टीम द्वारा जा रही थी।

विवेचना क्रम मे आज दिनांक 06.02.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से प्रकाश मे आयी अभियुक्ता जुगनू पत्नी सोनू पंडित निवासी हाल पता किराये का मकान एच 3/24 आम्रपाली योजना कोतवाली दुबग्गा लखनऊ मूल पता ग्राम चौसार थाना अरवल जिला हरदोई उम्र करीब 32 वर्ष को कोतवाली दुबग्गा लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा , श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम व श्रीमान पुलिस उपायुक्त प0 महोदय की क्राइम टीम द्वारा कुडा चौराहा के पास सर्विस लेन रोड समय लगभग 08.30 बजे गिरफ्तार की गई ।

दिनांक 23.01.2025 को मै घर मे चाय बना रही थी कि समय लगभग 05.30 बजे शाम को मेरे पति घर मे एक 08 वर्षीय लडकी को लेकर आये जो मोहल्ले मे घूम फिर कर डलिया मे सब्जी रख कर बेचती थी उसको चाय पिलाने के बाद मेरे पति बोले कि मै जो तंत्र मंत्र करता हू उसमें 01 लड़की की बलि चाहिये जब मै मना की तो मुझे मारे पीटे और डाट कर लडकी को गला पकड कर दबाने का प्रयास करने लगे तो वह घर मे बने सिलेप से टक्करा कर नीचे गिर गयी और चिल्लाने लगी तो मुझे बोले की तुम इसका मुँह दबाओ तो मै लडकी का मुँह दबाये रखी और मेरे पति उसका गला दबाये रहे कुछ देर मे बह लडकी हाथ पैर चलाना बन्द कर दी तो उसे जमीन पर लिटा हुआ छोड दिये और एक सफेद पन्नी मे गेदा का फूल और लौंग रख कर घर मे टाग दिये।

उसके बाद हम लोग घर मे पडे रहे भोर मे मेरे पति उस लडकी को जो कास्टमैटिक का समान लाते है उसकी काले भूरे रंग की रस्सी से हाथ व पैर मोड कर बाध दिये तथा घर मे कास्टमैटिक की रखी हुई बाडी पन्नी मे शव रख कर अपनी साइकिल जिस पर कास्टमैटिक का सामान रख कर फेरी लगा कर बेचते है उसके लकडी व शिशे के बने बाक्स जिसमे कास्टमैटिक के समान थे उसको निकाल कर उसके शीशे की तरफ किनारे किनारे कास्टमैटिक के क्रीम के डिब्बे लगा कर उसमे लडकी के शव को रख कर उसके उपर पेपर से ढक कर वाक्स को बन्द कर उसके उपर कुछ और डिब्बे बाध कर मेरे पति लडकी के शव को साइकिल से सुवह लगभग 07.00 बजे के बाद घर से निकल गये व उस लडकी के शव को बताये कि नदी के पार फेक आये थे किन्तु मुझे स्थान नही बताये थे।

घटना मे प्रयुक्त सामान की बरामदगी करते हुए अभियोग मे धारा 140(2)/238/3(5) बी0एन0एस0 के अपराध पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 137(2)/103(1) बी0एन0एस0 की घटोत्तरी व धारा 140(2)/238/3(5) बी0एन0एस0 की वढोत्तरी की गई है जिसे नियमानुसार मा0 न्यायालय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जिलाकारागार लखनऊ भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तारी का स्थान व समय –

1. अभियुक्ता जुगनू उपरोक्त को आज दिनांक 06.02.2025 समय 08.30 बजे कूड़ा चौराहा के पास सर्विस लेन वाली रोड़ कोतवाली दुबग्गा लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण

1. जुगनू पत्नी सोनू पंडित निवासी हाल पता किराये का मकान एच 3/24 आम्रपाली योजना कोतवाली दुबग्गा लखनऊ मूल पता ग्राम चौसार थाना अरवल जिला हरदोई उम्र करीब 32 वर्ष

05-बरामदगी का विवरण

1. एक अदद साईकिल लगभग 22 इंच की काले रंग
2. 01 अदद रस्सी करीब 39 इंच भूरे काले रंग सूत की जो मृतका के बरामद शव के बांधने मे प्रयोग मे लायी गयी थी का शेष हिस्सा
3. एक अदद सफेद पार्दरशी पन्नी जो मृतका के शव को ढकने मे प्रयोग मे लायी गयी थी से मिलती जुलती।
4. एक अदद सफेद पार्दरशी पन्नी मे तन्त्र मन्त्र से सम्बन्धित फूल एवं लौग रखा हुआ जो गला हुआ है।
5. एक अदद वीवो का फोन जिसका आईएमईआई नं0 861615050496697 व 861615050496689 है